आदेश द्वारा श्री मयंक अग्रवाल (भा.व.से.) वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार (छ.ग.)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण–

परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर का पत्र क्रमांक/1192 दिनांक 07.11.2022 उप वनमंडलाधिकारी कसडोल का पृ. क्रमांक/1181 दिनांक 07.11.2022 द्वारा देवपुर परिक्षेत्र अंतर्गत पूर्व गिधपुरी परिसर कक्ष क्रमांक 299 में दिनांक 07.11.2022 को एक नग नर हाथी मृत पाया गया है। प्रथम दृष्टया हाथी की मृत्यु विद्युत तार नुमा फंदे जो कि 11 के.व्ही. लाईन से जुड़ा हुआ था के कारण हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि श्री अजित ध्रुव परिसर रक्षी गिधपुरी के द्वारा अपने परिसर के अंतर्गत वनक्षेत्रों का निरंतर निरीक्षण नहीं किया जाता है। अगर परिसर रक्षी के द्वारा निरंतर वनक्षेत्रों का निरीक्षण किया जाता तो फंदे की जानकारी होती। हाथी मृत्यु की घटना की सूचना 72 घंटे बाद मिलना अत्यंत खेद जनक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है और घोर लापरवाही को दर्शाता है। श्री अजित ध्रुव परिसर रक्षी गिधपुरी के द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतकर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 (नियम 3) का उल्लंघन किया गया है। अतः मै आदेश देता हूं कि

/ /आदेश/ /

क्रमांक/1412/

बलौदाबाजार दिनांक 07/ 11 / 2022

श्री अजित ध्रुव परिसर रक्षी गिधपुरी के द्वारा अपने परिसार क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं करने एवं अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने के कारण श्री अजित ध्रुव, वनरक्षक परिसार रक्षी गिधपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है निलंबन अवधि में श्री अजित ध्रुव का मुख्यालय देवपुर परिक्षेत्र निर्धारित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में श्री अजित ध्रुव, निलंबित वनरक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

(मयंक अग्रवाल)
वनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमंडल बलौदाबाजार

पृ.क्रमांक/वन्यप्राणी/3212

बलौदाबाजार दिनांक 07/ 11 / 2022

प्रतिलिपि :–

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छ.ग. अरण्य भवन अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

(2) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. अरण्य भवन अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

(3) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरण्य भवन अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

(4) मुख्य वन संरक्षक रायपुर, वृत्त रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

(5) मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

(6) उपवनमंडलाधिकारी, कसडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर को निर्देशित करें कि श्री अजित ध्रुव निलंबित वनरक्षक का आरोप पत्र 10 दिवस के भीतर तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(7) परिक्षेत्र अधिकारी देवपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। आदेश की एक प्रति श्री अजित ध्रुव निलंबित वनरक्षक को प्रदाय कर प्राप्ति अभिस्वीकृति इस कार्यालय को तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें एवं श्री ध्रुव का आरोप पत्र 10 दिवस के भीतर तैयार कर उप वनमंडलाधिकारी कसडोल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्ति करें।

वनमंडलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमंडल बलौदाबाजार